



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1939 (श0)
(सं0 पटना 70) पटना, वृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2018

अधिसूचना संख्या 3/2018- राज्य कर (दर)

एस०ओ० 131, दिनांक 25 जनवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे संख्या 556 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5क	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

‘(च) किसी “बीमा अभिकर्ता” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।’

[(सं०सं०-ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-1)-03(Rate))]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

25 जनवरी 2018

एस०ओ० 131, दिनांक 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-1)-03(Rate))]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 25th January 2018

Notification No. 3/2018-State Tax (Rate)

S.O. 131, dated the 25th January 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department Notification No. 13/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 556, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.”;

- (ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(f) “insurance agent” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).’

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-1)—03(Rate)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 70-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>